

18.34 HOURS.

CONTEMPT OF HOUSE

संसद्-कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ : “वह सभा संकल्प करती है कि जो स्वयं अपने आप को श्री इन्द्रदेव सिंह कहता है, जिस ने आज सायंकाल 5 बज कर 5 मिनट पर दण्ड कीधी से सभा-भवन में पचे फेंके और जिस को बाच एंड बांड अधिकारी ने तत्काल हिरासत में ले लिया, उस ने एक धोर अपराध किया है और वह इस सभा के अपमान का दोषी है।

यह सभा आगे संकल्प करती है कि उस को 16 दिसम्बर, 1967 के सायंकाल 6 बजे तक के लिए साषारण कारावास का दण्ड दिया जाए और दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया जाए।”

श्री कंबरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव डा० राम सुभग सिंह ने रखा है, मैं उस का समर्थन करने के लिए छाड़ा हूँ। मैं और मेरी पार्टी यह चाहते हैं, कि देश में हिन्दी भाषा हो। अगर सरकार उस को नहीं करती है, तो हमें उस के विरोध का भी हक है। हम सदन में भी उस का विरोध करेंगे और बाहर भी विरोध करेंगे। हर जगह विरोध करेंगे, जब तक कि देश में हिन्दी भाषा¹ नहीं होती है। लेकिन उस का एक तरीका है, एक विधान है। अगर हमारे देश में इस के लिए बायलैंस की जाएगी और अनकांस्टीट्यूशनल तरीके अपनाए जायेंगे, तो यहां पर पार्लियामेंटरी हैमोकेसी नहीं चल सकती है। सरकार ने घब तक यह परम्परा स्थापित की है कि जब तक बायलैंस नहीं होता है, तब तक वह कुछ नहीं करती है और यह बात ठीक नहीं है। सरकार की आफिल लैग्वेज अप्रेजी या हिन्दी नहीं है, बल्कि उस की आफिल लैग्वेज पत्थर, रोड़े और बायलैंस हो गई है। मैं समझता हूँ कि जो भी पार्टी पार्लियामेंटरी बेयोकेसी

Untold Story by Gen. Kaul (H.A.H. Dis) 7472

में विश्वास रखती है, वह सदन में हुई आज की घटना को अच्छा नहीं समझेगी।

मैं अपनी पार्टी की ओर से इस संकल्प का समर्थन करता हूँ और अपील करता हूँ कि शार्झिन्डा इस प्रकार का कोई इन्सिडेंट सदन में नहीं होना चाहिए।

SHRI GADILINGANA GOWD (Kurnool) : Sir, on behalf of the Swatantra party, I support the motion of Dr. Ram Subbag Singh.

MR. SPEAKER : The question is :

“This House resolves that the person calling himself Shri Indra Deo Singh who threw pamphlets from the Visitors' Gallery on the Floor of the House at 5.5 p.m. today and whom the Watch and Ward Officer took into custody immediately, has committed a grave offence and is guilty of the contempt of this House.

This House further resolves that he be sentenced to simple imprisonment till 6 p.m. on the 16th December, 1967 and sent to Tibar Jail, Delhi.”

The motion was adopted.

18.37 HOURS

'UNTOLD STORY' BY LT. GEN. KAUL

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री कंबर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज से कुछ दिन पहले इस सदन में जेनरल काल की किताब “अनटोल्ड स्टोरी” के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए सरकार की सरकार से कहा गया था कि सरकार उन के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चला रहा है। मैं समझता हूँ कि यह पक्षपात है। मेरी सूचना है कि ला मिनिस्ट्री ने यह कह दिया है कि जेनरल काल ने कानून की अवहेलना की है, कानून को तोड़ा है और देश के दिफेंस और सिस्ट्रॉटी के साथ खिलवाड़ की है और इस लिए उन के खिलाफ मुकदमा चलाया जा

*Half-an-hour discussion.

सकता है। इस स्थिति में मेरी समझ में नहीं आता है कि उन के लिलाक कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। क्या इस लिए कि वह कांग्रेस के एक फ़ेवरिट है? या इस लिए उन के साथ यह पक्षपात किया जा रहा है?

इस किस्म का यह पहला भौका नहीं है। इस से पहले जेनरल चौधरी ने एक मिलिटरी कारेसपार्ड की हैसियत से कुछ आटिकल लिखे थे, जिन का जिक उन्होंने अपनी एक किताब में किया है। मैं समझता हूँ कि अगर यह परापरा चलती रही कि जो जेनरल रिटायर हो जाए, वह पैसे के लालच में या किसी के कहने से देश की सीत्रेसी को खत्म कर दे, देश के डिफ़ेंस के साथ खिलबाड़ करे, तो यह देश के लिए बहुत खतरनाक बात होगी। मैं मन्त्रि महोदय से यह पूछता चाहता हूँ कि उन्होंने इस मामले में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। सीरियस मिसकन्डक्ट के आधार पर ऐसे व्यक्तियों की पेन्शन रोकी जा सकती है। मैं यह जानना

चाहता हूँ कि इस आधार पर जेनरल काल की पेन्शन क्यों नहीं रोकी गई। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ हुए अपने बार्तालाप आदि सब सीक्रेट बार्ता को बता दिया और डिफ़ेंस के बहुत से राज फ़ाश कर दिए। इस लिए सीरियस मिसकन्डक्ट के आधार पर उन की पेन्शन को खत्म कर देना चाहिए था।

श्री प्रेम चन्द बर्मा(हनीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, ब्वाइंट आफ आईर है। कोरम नहीं है, कार्यवाही नहीं चल सकती।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The bell is being rung.

The bell has stopped ringing and there is no quorum. The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

18.43 HOURS

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, December 16, 1967/Agrahayana 25, 1889 (Saka).